कार्यालय उप वन संरक्षक, झुंझुनूं

क्रमांकः–एफ( )एफसीए / उवसंझुं / 2019 / 12377 दिनांकः– 16.12.19

महाप्रबन्धक,
पावरग्रिड खेतडी ट्रांसमिशन सिस्टम लि0
खेतडी

विषयः– फॉरेस्ट क्लीयरेंस का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Substation/42955 /2019 दिनांक 22.11.2019 बाबत।

संदर्भः–ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Substation/42955 /2019 दिनांक 22.11.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा फॉरेस्ट क्लीयरेंस का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Substation/42955 /2019 दिनांक 22.11.2019 में पार्ट I में निम्नलिखित कमियां पायी गयी जिनकी पूर्ति करवाकर भिजवायें जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

– क्रम सं. C में झाड झंकाड वाले वन के सम्पूर्ण खसरे की सीमा व प्रोजेक्ट की प्रस्तावित सीमा के पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर सीमा में वन भूमि छोडी जाने का कारण स्पष्ट करावें।

– क्रम सं. H में एनवायरमेंट क्लीयरेंस सर्टिफिकेट नहीं लगाया गया है।

– क्रम सं. K में एफआरए का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

– क्रम सं. L में देय नॉन फोरेस्ट लैण्ड प्रस्तावित नहीं की गयी है।

– अपलोड किये गये प्रपत्रों में भारत सरकार की स्वीकृती व जमाबन्दी की नकल प्रमाणित नहीं है एवं झाड झंकाड वाले वन की जमा बंदी संलग्न नहीं है।

भवदीय

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा)
उप वन संरक्षक,
झुन्झुनूं

Letter 2019@Dcfjjn

Scanned by CamScanner